भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं0 एबी.14017/61/2008-स्थापना(आरआर) के अनुपालन में,सफदरजंग अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्ति/टिप्पणियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुक पणधारक भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे, (Thenkholal baite) अनुभाग अधिकारी (एमएच-II), कमरा सं. 405ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

ग्रा. सामन्त
(जी. पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23061521

नई दिल्ली
दिनांक : 08/01/19

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (1) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख: 2019

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (प्रशासनिक अधिकारी) समूह 'ख', भर्ती नियम, 1995 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है , दिल्ली के सफ़दरजंग अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, प्रशासनिक अधिकारी भर्ती नियम, 2018 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना:** ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय -समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मेट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| प्रशासनिक अधिकारी | 5* (2018)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय | स्तर 8<br>(रु.47600-151100) | चयन | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना | भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रोन्नति द्वारा। | सहायक प्रशासनिक अधिकारी में से प्रोन्नति, जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो जिसके न हो सकने पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी और स्तर-6 (रु. 35400-112400) में प्रधान लिपिक के रूप में छह वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा जिसमें से एक वर्ष की नियमित सेवा बतौर सहायक प्रशासनिक अधिकारी की हो। | विभागीय प्रोन्नति समिति:<br>1. अपर स्वास्थ्य अधीक्षक, सफ़दरजंग अस्पताल - अध्यक्ष<br>2. निदेशक (प्रशासन) या उपनिदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य<br>3. उपनिदेशक प्रशासन, सफ़दरजंग अस्पताल - सदस्य | संघ लोक सेवा से परामर्श आवश्यक नहीं है। |

(ए.11018/30/2017-एमएच-II)

(जी. पी. सामन्त)
~~(जी.ए. रघुवंशी)~~
अवर सचिव, भारत सरकार